



कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

Web Site-www.muzaffarpur.biharurban.in, E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com Fax No.-0621-2214506

अति-अल्पकालीन खुली निलामी सूचना

NIQ NO.-01/E&M/MMC/2021-22

दिनांक:- 02/04/2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर आवास के सामने स्थित पुराने मकान को जर्जर होने की स्थिति में ध्वस्त किया गया है। जिसके मलवा में पुरानी ईट, राबिस आदि जहाँ है जैसे है के आधार पर दर आकलित करते हुए मुहरबंद निलामी हेतु दिनांक- 06/04/2022 के अपराह्न 02:00 बजे तक निलामी आमंत्रित की जाती है। निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी से दिनांक- 06/04/2022 को अपराह्न 01:00 बजे तक कार्यपालक अभियंता, नगर निगम मुजफ्फरपुर के कार्यालय कक्ष में मुहरबंद लिफाफा में निलामी दर जमा ली जाएगी। निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त मुहरबंद निलामी दर पर ही विचार किया जायेगा। नियम एवं शर्त की जानकारी मुजफ्फरपुर नगर निगम के वेबसाईट <https://mymmc.org> एवं NIC मुजफ्फरपुर के वेबसाईट <https://muzaffarpur.nic.in> से प्राप्त की जा सकती है।

निलामी का विवरण


क्र० सं०	निलामी वस्तु का विवरण	न्यूनतम निलामी मूल्य	अग्रधन (डी०डी० के रूप में)	निलामी में भाग लेने हेतु शुल्क (अप्रत्यर्पणीय) (डी०डी०के रूप में)	निलामी प्रतिभागी द्वारा उद्धत दर (सभी कर सहित)
01	जिलाधिकारी आवास के सामने पार्क में पुराने ध्वस्त भवन के पुरानी ईट, मलवा एवं राबिस	238500.00 (दो लाख अरतीस हजार पाँच सौ मात्र)	23900.00 (तेईस हजार नौ सौ रू० मात्र)	1000.00 (एक हजार रू० मात्र)	

निलामी की शर्त निम्न प्रकार है:-

01. जिलाधिकारी आवास के सामने पुराने ध्वस्त भवन के मलवा में पुराना ईट, मलवा एवं राबिस आदि जहाँ है जैसे है की निलामी मुहरबंद डाक द्वारा उच्चतम निलामी दर वक्ता के साथ की जायेगी।
02. निलामी दर अंकित करने के पूर्व प्रतिभागी स्वयं स्थल निरीक्षण कर वर्णित स्थल के मलवा की जानकारी लेकर ही मुहरबंद निलामी में भाग लेंगे। इस संबंध में निलामी के उपरांत डाककर्ता का किसी भी प्रकार का दावा/विवाद मान्य नहीं होगा।
03. उच्चतम निलामी दर के व्यक्ति/एजेंसी को छोड़कर शेष व्यक्ति/एजेंसी को केवल जमानत की राशि निलामी प्रक्रिया के सात दिनों के बाद वापस कर दिया जाएगा।


04. उच्चतम निलामी दर के व्यक्ति/एजेंसी को कार्यदेश निर्गत के 24 घंटे के अन्दर शेष निगम कोष में जमा करनी होगी। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब होने की स्थिति में जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। अधिकतम निलामी बोली के अलावे नियमानुकूल GST + IT देना होगा।
05. उच्चतम निलामी मुल्य लगाकर निलामी की सामग्री नहीं लेने वाले व्यक्ति की जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
06. उच्चतम निलामी दर के व्यक्ति/एजेंसी को निगम कोष में निलामी जमा करने के उपरांत 05 (पाँच) दिनों के अन्दर निलाम किये गये सामग्रियों को उक्त स्थान से हटा लेना होगा।
07. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निलामी को निलम्बित करने, स्थगित करने, तिथि बढ़ाने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
08. विस्तृत जानकारी के लिये किसी भी कार्यालयीय कार्य दिवस में कार्यपालक अभियंता, नगर निगम मुजफ्फरपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।
09. सभी मलवा हटाते समय प्रदूषण के मद्देनजर मलवे को ढक कर ही उठाव करना होगा।
10. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/एजेंसी को मुहरबंद निलामी के समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र की छाया प्रति स्व-अभिप्रमाणित संलग्न करना आवश्यक होगा।

कोटेशनदाता का हस्ताक्षर


 (विवेक संजन मैत्रेय)
 नगर आयुक्त,
 मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक-590/स्य10/मुज0न0नि0, मुज0 दिनांक 02/04/2022

- प्रतिलिपि :- डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं एन0आई0सी0 के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं निगम के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय महापौर/माननीय उप महापौर, मुज0 नगर निगम, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


 (विवेक रंजन मैत्रेय)
 नगर आयुक्त,
 मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर